# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या : 846/2023**

**पवन कुमार द्विवेदी —अपीलार्थी**

**बनाम**

1. **राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।**
2. **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।**
3. **संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।**

**—प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतीकरण की दिनांक— 03.02.2023**

**आदेश की दिनांक — 30.05.2023**

**उपस्थिति—**

**अपीलार्थी की ओर से — श्री शोभित तिवाड़ी, अभिाषक**

**प्रत्यर्थीगण की ओर से — श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता**

**समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य**
**लेखराज तोसावडा, सदस्य**

## <u>आदेश</u>

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 10.06.2022 एवं आदेश दिनांक 25.07.2022 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को काल्पिनिक नियुक्ति दिनांक 09.12.1998 से चयनित वेतनमान का लाभ देते हुए सभी पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैः—

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में शारीरिक शिक्षक, ग्रेड—द्वितीय के पद पर प्रत्यर्थी विभाग के अधीन कार्यरत है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा शारीरिक शिक्षक की सीधी भर्ती द्वारा परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें अपीलार्थी ने भाग लिया, जिसमें अपीलार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया गया परन्तु बीपीएड की योग्यता पर विचार नहीं करने के कारण उसे अयोग्य मानते हुए चयन से बाहर कर दिया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष डीबी सिविल रिट संख्या 793/1999 प्रस्तुत की। जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.01.2021 की पालना में प्रत्यर्थी विभाग ने

अपीलार्थी का नियुक्ति आदेश जारी किया और उसे बकानी झालावाड पदस्थापित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.08.2020 की पालना में दिनांक 05.08.2021 को काल्पनिक लाभ उसे कनिष्ठ कार्मिक की दिनांक से प्रदान किया गया। आदेश दिनांक 05.08.2021 में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 4 पर अंकित किया गया और अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 09.12.1998 दर्शायी गयी। प्रत्यर्थी विभाग ने दो आदेश जारी किये, जिसमें आदेश दिनांक 15.09.2021 के द्वारा अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान दिनांक 02.07.2010 से 09.12.2007 एवं द्वितीय चयनित वेतनमान आदेश दिनांक 15.09.2021 के द्वारा दिनांक 02.07.2019 से 09.12.2016 किया गया। उनका कथन है कि उक्त आदेश की पालना में आदेश दिनांक 02.10.2021 के द्वारा अपीलार्थी का वेतन 9 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 09.12.2007 से निर्धारित किया गया और द्वितीय चयनित वेतानमान दिनांक 09.12.2016 से निर्धारित किया गया। परन्तु आलोच्य आदेश दिनांक 10.06.2022 के द्वारा अपीलार्थी को पूर्व में दी गयी एसीपी को संशोधित करते हुए निरस्त कर दिया गया और अधिक भुगतान की वसूली के आदेश जारी कर दिये गये, जबकि 9 एवं 18 वर्षीये चयनित वेतनमान का लाभ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.08.2020 की पालना में दिये गये थे। जिसके क्रम में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन दिया, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 25.07.2022 के द्वारा अभ्यावेदन को खारिज कर दिया। उनका कथन है कि अपीलार्थी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.08.2020 की पालना में चयनित वेतनमान का लाभ काल्पनिक नियुक्ति दिनांक 09.12.1998 से प्राप्त करने का अधिकारी है। जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिक को चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है उसी तिथि से अपीलार्थी भी चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त लाभ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में देने के उपरान्त आलोच्य आदेश दिनांक 10.06.2022 के द्वारा पूर्व में दी गयी एसीपी को संशोधित करते हुए निरस्त किया गया और अधिक भुगतान की वसूली के आदेश जारी कर दिये गये, जो नियम विरूद्ध है। उनका यह भी कथन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर द्वारा भगवान स्वरूप पाठक व अन्य बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4001/2020 में अंतिम निर्णय दिनांक 13.08.2020 पारित किया गया, जिसमें निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किया :—

> *"Having regard to the facts of the case, Writ Petition is disposed-off requiring the Petitioners to make a representation to Respondent No.1- Director, Secondary Education, Bikaner, alongwith a copy of this order, who shall, after*

*verifying the facts as stated above, consider and decide the same by speaking order within a period of 3 months from the date of its making, addressing the grievance of the Petitioner for extending them the relief as prayed for, as the candidates, who stood lower in merit, are getting benefit of higher pay, seniority, Annual Grade Increments, and other service benefit including the selection scales. If the Respondent No.1 decides to place the Petitioners above in seniority then the candidates who stood lower in merit, then the Petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only to notional benefits."*

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग ने जानबूझकर तथ्यो का नजरअंदाज किया है जबकि Close-7 (1) Of the Memorandum दिनांक 31.12.2009 जिसमें निम्नप्रकार अंकित किया गया हैः–

*"Regular service for the purpose of grant of ACP shall be as defined in sub-rule (11) of Rule 5 of Rajasthan Civil Services Revised Pay Rules, 2008, Reproduced below:*

*"(11) Regular Service means and includes service rendered by a Government Servant on his appoinntment after regular selection in accordance with the provisions contained in the relevant recruitment Rules for the post. The period of service rendered on AD-hoc basis/urgent temporary basis shall not be counted as the regular service. In other words, the period of service which is countable for seniority shall only be counted as regular service."*

अतः अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 10.06.2022 एवं आदेश दिनांक 25.07.2022 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को काल्पनिक नियुक्ति दिनांक 09.12.1998 से चयनित वेतनमान का लाभ देते हुए सभी पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी को नियुक्ति दिनांक से नियमानुसार देय सेवालाभ प्रदान किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08.2020 की पालना में भी दिनांक 05.08.2021 के द्वारा की जा चुकी है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–1 के नियम 71 के अनुसार सिवाय अन्यन्ता विशेष परिस्थितियों के वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना कर्मचारी के वेतन संशोधन या रियायतों सम्बन्धी स्वीकृतियों को समक्ष प्राधिकारी द्वारा भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जावेगा। इसलिए एसीपी को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी के क्रम में जारी आदेश दिनांक 15.09.2021 नियम/परिपत्र/दिशा निर्देश के अभाव में जारी कर दिया गया था, जो कि नियमानुसार नहीं होने के कारण संज्ञान में आने पर आलोच्य आदेश के द्वारा वसूली की गयी है। अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक/कार्य ग्रहण दिनांक से ही एसीपी स्वीकृत किये जाने का

प्रावधान है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने के कारण खारिज फरमायी जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वर्तमान में शारीरिक शिक्षक ग्रेड–II के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी ने पीईटी ग्रेड–2 के पद पर सीधी भर्ती के तहत वर्ष 1998 में परीक्षा में भाग लिया और निर्धारित अंको के आधार पर उत्तीर्ण योग्य अंक प्राप्त किए परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसकी बी पी एड की योग्यता सही नहीं मानते हुए उसकी अभ्यर्थता पर विचार नहीं किया और उससे कम मेरिट वाले अभ्यर्थीयों को वर्ष 1998 में नियुक्ति दे दी। जिसके क्रम में अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस बी सिविल रिट याचिका 4001/2020 प्रस्तुत की और माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 13.08.2020 को पारित किया। जिसके क्रम में अपीलार्थी को नियुक्ति दी थी। अपीलार्थी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के पालना में काल्पनिक नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 10.06.2022 के द्वारा पूर्व में दी गई एसीपी लाभ को संशोधित करते हुए निरस्त कर वसूली के आदेश जारी कर दिये गये। जो हमारे विनम्र मत में विधि के विरूद्व है। इसी तरह भगवान स्वरूप पाठक वाले मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रार्थी के पक्ष में आदेश दिनांक 25.11.2021 पारित किया। अपीलार्थी का मामला भी उक्त मामलों के आधारो पर ही समान है। जहां तक अपीलार्थीगण को काल्पनिक नियुक्ति दिनांक से एसीपी का लाभ न दिये जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में Close-7 (1) Of the Memorandum दिनांक 31.12.2009 जिसमें निम्नानुसार अंकित किया गया हैः–

> *"Regular service for the purpose of grant of ACP shal be as defined in sub-rule (11) of Rule 5 of Rajasthan Civil Services Revised Pay Rules, 2008, Reproduced below:*
>
> *"(11) Regular Service means and includes service rendered by a Government Servant on his appoinntment after regular selection in accordance with the provisions contained in the relevant recruitment Rules for the post. The period of service rendered on AD-hoc basis/urgent temporary basis shall not be counted as the regular service. In other words, the period of service which is countable for seniority shall only be counted as regular service."*

इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक

10.06.2022 एवं आदेश दिनांक 25.07.2022 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त मामलों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी को काल्पनिक नियुक्ति दिनांक से सेवा मानते हुए समस्त काल्पनिक लाभ जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिको को प्रदान किये गये है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी प्रदान किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन माह में की जावे। अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 07.02.2023 की पुष्टि कर प्रावकाश किया जाता है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**